न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–13 / 2019

प्याराचन्द उर्फ प्याराराम पुत्र अमरू जाति चमार आयु वर्ष निवासी 66 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

— प्रार्थी

बनाम्

1. पवित्र सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।
2. हरजिन्द्र सिंह पुत्र पवित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।
3. इन्द्रजीत कौर उर्फ गुरप्रीत कौर पुत्री अवतार सिंह पत्नी जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।
4. बलविन्द्र कौर उर्फ कुलविन्द्र कौर पुत्री अवतार सिंह पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 67 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

—अनावेदकगण / अप्रार्थीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः–22.01.2021

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी प्याराराम ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्रधारा 251–क राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक की भूमि उपखण्ड व तहसील अनूपगढ, भू.अ.नि. क्षेत्र रामसिंहपुर के चक नं. 62 जी.बी. (बी) का मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 255 / 448 के किला नं. 1,2,8 ता 13, 18 ता 23 में कुल 3.087 हैक्टर संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से आवेदक प्यारामचन्द का 1 / 4 हिस्सा रकबा के लिए के वाके ग्राम 62 जी.बी. (बी), का मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 255 / 448 में अनावेदकगण पवित्र सिंह, हरजिन्द्र सिंह, इन्द्रजीत कौर, बलविन्द्र कौर की संयुक्त खाता की कृषि भूमि किला नं. 3 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 में कुल 5.0490 हैक्टर के किला नं. 24–25 में से प्रार्थी 2–2 विस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है, जो स्वीकृत किया जावे। चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से उक्त मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 5,6,15,16,25 के डिमारी पक्की सड़क से जुड़ जाएगा। आवेदक की उक्त भूमि के लिए कोई विद्यमान मार्ग नहीं है। आवेदक के लिए चाहा गया मार्ग लघुत्तम, सुगम, आत्यांतिक आवश्यकता का है जिसके लिए आवेदक नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदाय करने को तैयार है। आवेदक ने अपनी उक्त भूमि के लिए उक्त अनावेदकगण से अर्सा दस रोज नया मार्ग बनाने / स्वीकृत करवाने के लिए आग्रह किया तो वह स्पष्ट इंकार हो गए इसलिए आवेदन पेश है। अतः वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अनावेदकगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल गक्खड एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह कामरा ने वकालतनामा पेश कर उपस्थित आए। प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षण से रिपोर्ट तलब की गई। भू–अभिलेख निरीक्षण की जांच रिपोर्ट पर अप्रार्थी सं. 1 ने रास्ता

स्वीकृत करने की सहमति दी। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ। अप्रार्थी सं. 3 व 4 एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित होने कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तदपंरात बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वांछित रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि भू–अभिलेख निरीक्षण द्वारा प्रार्थी की भूमि के कोई मार्ग विद्यमान नहीं होने एवं वांछित मार्ग अत्यान्तिक आवश्यकता का, लघुत्तम व सुगम होने की रिपोर्ट दी है एवं साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के हस्ताक्षर/अंगूठा है, अप्रार्थी सं. 1 ने रास्ता देने हेतु सहमति जताई है। किसी अप्रार्थीगण ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी प्यारासिंह की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 62 जी.बी. (बी), का मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 255/448 में अनावेदकगण पवित्र सिंह, हरजिन्द्र सिंह, इन्द्रजीत कौर, बलविन्द्र कौर की संयुक्त खाता की कृषि भूमि किला नं. 3 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 में कुल 5.0490 हैक्टर के किला नं. 24–25 में से 2–2 विस्वा चौड़ा रास्ता कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को भुगतान करने हेतु राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं अप्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का भुगतान उनके रास्ता में आयी भूमि के मुताबिक किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:47 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़